बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–17/2005 गृ0आ0 / श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1985) जब पुलिस उप–महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना के प्रभार में थे तो इनके द्वारा महामहिम राज्यपाल, बिहार को सम्बोधित पत्र दिनांक 22.06.2005 से अपने वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध बार–बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमवाली, 1968 के नियम–3 (1) तथा 3 (2ए) का उल्लंघन किया गया ।

2. और चूँकि गृह विभागीय ज्ञाप संख्या–3924, दिनांक 06.05.2008 द्वारा श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–6 एवं 8 के तहत् अपना लिखित बचाव–बयान प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया ।

3. और चूँकि श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 ने अपने पत्रांक–580/सी0भी0ओ0, दिनांक 21.06.2008 एवं पत्रांक–581/ सी0भी0ओ0, दिनांक 23.06.2008 द्वारा अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत किया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–2302, दिनांक 29.04.2009 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम– 8 (2) के आलोक में श्री ए0आर0 किन्नी, भा0पु0से0 (1981), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया लेकिन जॉच की कार्यवाही अंतिम रूप से निष्पादित नहीं किया जा सका ।

4. और चूँकि विभागीय संकल्प सं0–2320, दिनांक 29.04.2009 की कंडिका–4 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए संशोधित पत्र ज्ञापांक–1907, दिनांक 08.03.2010 द्वारा संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अभयानन्द, भा0पु0से0 (1977), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत) को नियुक्त किया गया जिनके पत्रांक–1792/प्रशिक्षण, दिनांक 22.12.2010 द्वारा जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) विभाग को प्राप्त हुआ ।

5. और चूँकि प्राप्त अधिगम पर अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री वर्मा के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभागीय पत्रांक–1369, दिनांक 19.02.2014 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आयोग द्वारा प्रस्तुत कागजातों के जॉचोपरांत निम्नांकित कमियॉ इंगित की गयी :–

(a) General examination of the MOS under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rules, 1969 .
(b) Written briefs of the PO & MOS under Rule 8 (20) of AIS (D&A) Rules, 1969 .
(c) Detailed parawise comments of DA on the representation of MOS.
(d) Suspension / Revocation order, if any.

6. और चूँकि आयोग द्वारा वांछित कागजातों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय पत्रांक–8194, दिनांक 14.10.2016 द्वारा कंडिकावार स्थिति स्पष्ट करते हुए single window system के माध्यम से दिनांक 18.10.2016 को प्रस्ताव पुनः संघ लोक सेवा आयोग को परामर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसकी समीक्षा के पश्चात् कई कमियॉ इंगित की गयी है जिनमें निम्नांकित कमियों का निराकरण जॉच पदाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है:–

(a) General Examination of the MoS under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rule 1969.
(b) Presenting officers briefs & MoS brief.
(c) There is no clear cut findings of IO in his Report. The IO has to mention whether the charge is proved, not proved or partially proved.

6. और चूँकि श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागयी कार्यवाही के शीघ्र निष्पादन हेतु उनके द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना में ओ0ए0 याचिका दायर किया गया है जो माननीय प्राधिकरण में विचारार्थ लंबित है ।

7. और चूँकि संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने के क्रम में आयोग द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्यवाही में सेवा के सदस्य का General Examination होना नियमानुकूल आवश्यक है । इस हेतु मामले को पुनः जॉच पदाधिकारी को भेजे जाने की आवश्यकता है । उक्त के आलोक में प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में जो प्रक्रियात्मक कमियॉ है उसके निदान के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाऍ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम– 9 (1) के आलोक में मामले को जॉच पदाधिकारी के पास अग्रेतर जॉच हेतु वापस करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी श्री अभयानन्द, भा0पु0सें0 (1977), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–17/2005 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– श्री अभय़ानन्द, भा0पु0से0 (1977), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप विवरणी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–17/2005 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी प्रति श्री अभयानन्द, भा0पु0से0 (1977) सम्प्रति सेवानिवृत को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

3. चूँकि इस मामले में पूर्व में नियुक्त उपस्थापन पदाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना सम्प्रति महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित है । अतः उनके स्थान पर अन्य उपयुक्त पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु नामित करने की कृपा की जाय ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–17/2005 गृ0आ0 9262/पटना, दिनांक 25. नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1985), तत्कालीन पुलिस उप–महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना सम्प्रति उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव